



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-10082026-275333
CG-OR-E-10082026-275333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4240]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 2026/श्रावण 17, 1948

No. 4240]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 2026/SHRAVAN 17, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 8 अगस्त, 2026

का.आ. 4418(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37 'ए') द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचना करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	"खोर्दा रोड डिवीज़न की कटक(CTC)-तालचेर(TLHR) सेक्शन के अंतर्गत मेरामुंडोली(MRDL)-बुढापंक(BDPK) के बीच किमी 483/7-9 पर L.C. संख्या.CT-74 पर 2-लेन रोड ओवर ब्रिज का निर्माण".	ओडिशा

[फा. सं. सीएओ/सी/आरएसपी/बीबीएस/2026/आरओबी संख्या. CT-74/37ए]

महेंद्र पित्तला, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[EAST COAST RAILWAY (CONSTRUCTION)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 8th August, 2026

S.O. 4418(E).—In exercise of the powers, conferred by **Clause (37A)** of Section-2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project as mentioned in **column (2)** of the table below in the State mentioned in **column (3)** of the Table, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	“Construction of 2 lane Road Over Bridge (ROB) in lieu of L.C.No. CT-74 at Km 483/7-9 between Meramundoli (MRDL)-Budhapank (BDPK)under Cuttack (CTC)-Talcher (TLHR) Section of Khurda Rd. Division”	Odisha

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/ROB No. CT-74/37A]

MAHENDER PITALLA, Chief Engineer (Construction-III)